रजिस्टर्ड नं0 ल0-33/एस0 एम0 14.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार 12 अगस्त, 1989/21 श्रावण, 1911

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग
(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचनाएं

शिमला-171002, 6 सितम्बर, 1988

सं0 एल0 एल0 आर0-10/88.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश यूटिलाईजेशन आफ लैण्ड्स ऐक्ट, 1973 (1973 का 17)" के, संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपान्तर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि)।

मैं, "दि हिमाचल प्रदेश यूटिलाइजेशन ग्राफ लैण्ड्स ऐक्ट, 1973 (1973 का 17) के, राजभाषा पाठ को हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम. 1981 की धारा 3 के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करता हूं और यह उक्त अधिनियम का राजभाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने "हिमाचल प्रदेश यूटिलाइजेशन ग्राफ लैण्ड्स ऐक्ट, 1973 (1973 का 17)" के, उपर्युक्त राजभाषा पाठ को हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की धारा 3 के अधीन, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है और वह उक्त अधिनियम का राजभाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश भूमि-उपयोग अधिनियम, 1973

(1973 का 17)

(4 जून, 1973)

(1-8-1988 को यथा विद्यमान)

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भूमि-उपयोग अधिनियम, 1973 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो :—

(क) "कृषि वर्ष" से 16 जून या ऐसी अन्य तारीख से, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए नियुक्त करें, प्रारम्भ होने वाला वर्ष अभिप्रेत है ;

(ख) "कुलैक्टर" से उस जिले का कुलैक्टर अभिप्रेत है जहां भूमि स्थित है ;

(ग) "भूमि" से ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो नगरीय भूमि नहीं है और जिसका अधिभोग किसी नगर या ग्राम के निर्माण स्थल के रूप में नहीं किया जाता, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि नहीं है, जो इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के अधीन सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई हो ;

(घ) "स्वामी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका भूमि में साम्पत्तिक अधिकार है और इसके अन्तर्गत भोग बन्धकदार या पट्टेदार भी है ;

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(च) "अभिधारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, भूमि कुलैक्टर द्वारा पट्टे पर दी गई हो ;

(छ) "नगरीय भूमि" से नगर निगम, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति और छावनी की सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली समस्त भूमि अभिप्रेत है।

कुलैक्टर की भूमि को काश्त करवाने की शक्तियां

3. (1) किसी विधि के प्रतिकूल होते हुए भी, कुलैक्टर ऐसी भूमि के स्वामी को, जिसकी काश्त पिछले दो कृषि वर्षों से नहीं की गई है, ऐसा नोटिस जारी कर सकता है कि वह नोटिस की तारीख की तामील से तीस दिन के भीतर यह कारण दर्शित करे कि भूमि पर खेती क्यों नहीं की गई है और यदि कुलैक्टर स्पष्टीकरण को समाधानप्रद नहीं पाता है, तो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भूमि का तुरन्त कब्जा ले सकता है :

परन्तु कुलैक्टर ऐसा नोटिस उस भूमि के सम्बन्ध में जारी नहीं करेगा—

(क) जो घासणी के रूप में रखी और प्रयुक्त की जा रही है और राजस्व अभिलेख

में उस रूप में वर्गीकृत की गई है; और

(ख) जो नोटिस की तारीख से ठीक पूर्व चार वर्ष तक की निरन्तर अवधि के लिए घासणी के रूप में प्रयुक्त की गई है, चाहे वह राजस्व अभिलेख में उस रूप में अभिलिखित की गई है या नहीं :

परन्तु यह और कि कुलैक्टर ऐसा नोटिस ऐसी भूमि के सम्बन्ध में जारी नहीं करेगा, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, नोटिस जारी किए जाने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए सुरक्षित की गई है, अर्थात्:—

(क) जरागाह;
(ख) खलिहान;
(ग) सिंचाई टंकी;
(घ) उद्यान;
(ङ) निजी वन;
(च) वास स्थान, कब्रिस्थान या श्मशान भूमि; और
(छ) कोई अन्य लोक प्रयोजन।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए "घासणी" से किसी व्यक्ति के निजी स्वामित्व की ऐसी भूमि अभिप्रेत है जिसमें घास या चारावृक्ष या दोनों ही उगाए जा रहे हों।

(2) उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित नोटिस की तामील सम्यक् रूप में हुई समझी जाएगी यदि उसे स्वामी के प्रायिक या अन्तिम ज्ञात आवास स्थान पर दे दिया गया हो या रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेज दिया गया हो।

स्वामी को प्रतिकर का संदाय।

4. जब किसी भूमि का धारा 3 के अधीन कब्जा लिया गया हो, तो स्वामी को भूमि के प्रतिकर के रूप में पट्टे का आधा धन दिया जाएगा।

कुलैक्टर द्वारा पट्टा।

5. (1) जब कुलैक्टर ने धारा 3 के अधीन किसी भूमि का कब्जा लिया हो, तो वह उसे खाद्य और चारे की फसल उगाने के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को ऐसे निबन्धनों और ऐसी शर्तों पर पट्टे पर दे सकता है, जैसी वह ठीक समझे।

(2) साधारणतया ऐसा प्रत्येक पट्टा तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(3) जब उप-धारा (1) के अधीन पट्टे की अवधि का अवसान हो गया हो या धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन पट्टे का पर्यवसान किया गया है तो कुलैक्टर उप-धारा (1) में यथा उपबंधित उसे पट्टे पर दे सकेगा, किन्तु पट्ट की कुल अवधि बीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।

कतिपय मामलों में पट्टे का पर्यवसान करने की कुलैक्टर की शक्ति।

6. (1) यदि कोई व्यक्ति जिसे धारा 5 के अधीन भूमि का पट्टा दिया गया है उसकी किन्हीं निबन्धनों और शर्तों को भंग करता है, तो उसके किन्हीं अधिकारों या उपायों के विरुद्ध प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कुलैक्टर को पट्टे का पर्यवसान करने और भूमि का कब्जा लेन की शक्ति होगी।

(2) जहां कुलैक्टर द्वारा पट्टे का पर्यवसान कर दिया गया हो, वहां अभिधारी किसी भी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

7. (1) जहां कोई ऐसी भूमि, जिसका कब्जा धारा 3 के अधीन कुलैक्टर द्वारा लिया गया है, पट्टे की अवधि के अवसान पर स्वामी को वापिस दी जानी है, तो कुलैक्टर ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, लिखित आदेश द्वारा ऐसा व्यक्ति विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसे भूमि का कब्जा दिया जाए। पट्टे के पर्यवसान पर कब्जे का परिदान।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को भूमि के कब्जे का परिदान कुलैक्टर को ऐसे परिदान के बारे में सभी दायित्वों से पूर्णत: उन्मोचित करेगा, किन्तु उस भूमि के बारे में उन अधिकारों पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा जो भूमि का कब्जा सौंपे जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विधि की सम्यक् प्रक्रिया के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हों।

(3) जहां वह व्यक्ति, जिसे किसी भूमि का कब्जा दिया जाना है, नहीं मिलता है और उसकी ओर से परिदान प्राप्त करने के लिए कोई भी अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति सशक्त नहीं है, वहां कुलैक्टर भूमि किसी सहजदृश्य भाग पर इस घोषणा का एक नोटिस लगवाएगा कि भूमि निर्मुक्त कर दी गई है।

(4) उप-धारा (3) में निर्दिष्ट नोटिस जारी करने पर नोटिस में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि उसका परिदान उसके कब्जे के हकदार व्यक्ति को दे दिया गया है और सरकार या कुलैक्टर, उस भूमि के बारे में उस तारीख के पश्चात् किसी प्रतिकर या अन्य दावे के लिए दायी नहीं होगा।

(5) पट्टे की अवधि के अवसान पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अभिधारी को पट्टे पर दी गई भूमि पर उसके द्वारा किए गए सुधार के लिए वह प्रतिकर का हकदार होगा, किन्तु पट्टा धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन न दिया गया हो।

8. जहां अभिधारी, उसे पट्टे पर दी गई भूमि पर खाद्यान्न या चारे की फसल उगाने में असफल रहता है, वहां वह धारा 5 के अधीन नियत लगान के संदाय के अतिरिक्त उस लगान के दुगने से अनधिक शास्ति संदत्त करने का दायी होगा। खाद्यान्न या चारे की फसल उगाने में अभिधारी की असफलता के लिए शास्ति।

9. स्वामी या अभिधारी से इस अधिनियम के अधीन देय सभी राशियां भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जायेंगी। देय राशि का भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली योग्य होना।

10. कुलैक्टर इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा दिए गए किसी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए, ऐसी कार्रवाई कर सकेगा और ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा या करवा सकेगा जैसा कि उसकी राय में युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो। कुलैक्टर के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करना।

कृत्यों का प्रत्यायोजन।

11. कुलैक्टर इस अधिनियम के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों और कृत्यों का अपने जिले के राजस्व या पुनर्वास विभाग के किसी अधिकारी को नाम या पद से प्रत्यायोजन कर सकेगा।

पटटे की लिखत को स्टाम्पित, अनुप्रमाणित या रजिस्ट्रीकृत न करना।

12. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन कुलैक्टर द्वारा पट्टे को प्रभावी बनाने के लिए किसी भी लिखित को स्टाम्पित, अनुप्रमाणित या रजिस्ट्रीकृत करना अपेक्षित नहीं होगा।

अपील और पुनरीक्षण।

13. (1) कुलैक्टर द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर या ऐसी दीर्घतर अवधि के भीतर जिसे कि आयुक्त, कारणों को अभिलिखित करके अनुज्ञात करें, राज्य सरकार द्वारा इस निमित नियुक्त आयुक्त को लिखित रूप में अपील कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.—पन्द्रह दिन की अवधि की संगणना करने के लिए, अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में लगा समय अपवर्जित कर दिया जायेगा।

(2) ऐसी अपील की जाने पर, आयुक्त, मामले में अपील का विनिश्चय होने तक अग्रिम कार्यवाहियों को रोक सकेगा।

(3) आयुक्त, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और यदि आवश्यक हो तो कुलैक्टर से अभिलेख मंगाने के पश्चात् स्वयं या कुलैक्टर के माध्यम से ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे अपील का विनिश्चय कर सकेगा।

(4) राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत आयुक्त किसी भी समय इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी द्वारा पारित किए गए किसी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में उसका या अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, ऐसे अधिकारी के समक्ष लम्बित या उसके द्वारा निपटाए गए किसी मामले के अभिलेख को मंगवा सकेगा और उसका परीक्षण कर सकेगा और पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उसके सम्बन्ध में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे वह उचित समझे।

(5) इस अधिनियम में यथा उपबन्धित के सिवाए, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्रवाई किसी न्यायालय में या किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नगत नहीं की जायेगी।

वादों या विधिक कार्यवाहियों का वर्जन।

14. (1) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित नहीं की जायेंगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से पारित किसी नुकसान के लिए, कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार के विरुद्ध नहीं की जा सकेगी।

15. (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब यह सत्र में हो, कुल मिला कर दस दिन की अवधि के लिए रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है, या पूर्वोक्त सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाती है या वह विनिश्चय करती है कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात नियम, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जायेगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से, उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

16. इस अधिनियम के अधीन स्थापित अभिधृतियों को हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भू-सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का 8) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे। हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भू-सुधार अधिनियम, 1972 के उपबन्धों से अधिनियम के अधीन अभिधृतियों की व्यावृत्ति।

17. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश को अन्तरित क्षेत्रों में यथाप्रवृत्त "दि ईस्ट पंजाब यूटिलाइजेशन आफ लैण्ड ऐक्ट, 1949 (1949 का 38)" का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है। ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए किसी आदेश, अधिसूचना या बनाए गए किसी नियम सहित की गई कोई बात या कार्रवाई जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत हो, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई समझी जायेगी। निरसन और व्यावृत्तियां।

शिमला-171002, 6 सितम्बर, 1988

सं0 एल0 आर0-12/88.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश प्रिवैन्शन आफ एक्स कम्यूनिकेशन ऐक्ट, 1955 (1955 का 1)" के, संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपांतर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश बहिष्कार निवारण अधिनियम, 1955

(1955 का 8)

(4 अक्तूबर, 1955)

(1-8-1988 को यथा विद्यमान)

हिमाचल प्रदेश में बहिष्कार का उपबन्ध करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के छठे वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश बहिष्कार निवारण अधिनियम, 1955 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,—

(क) "समुदाय" से ऐसा समूह अभिप्रेत है जिसके सदस्य इस तथ्य के कारण सम्बद्ध हैं कि जन्म, धर्म परिवर्तन या किसी धार्मिक कृत्य के पालन द्वारा वे एक ही धर्म या धार्मिक पंथ से सम्बन्ध रखते हैं, और जाति या उप-जाति इसके अन्तर्गत है, और

(ख) "बहिष्कार" से व्यक्ति का किसी समुदाय से जिसका वह सदस्य है, का उस द्वारा या ऐसे सदस्य के रुप में उसकी ओर से, सिविल प्रकृति के बाद वैध रूप से प्रवर्तनीय अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित करते हुए, निष्कासन अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण:—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, वैध रूप से सिविल प्रकृति के बाद द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार के अन्तर्गत, पद धारण करने या सम्पत्ति रखने या किसी धार्मिक स्थान पर उपासना करने या कब्र में दफनाने या शवदाह का अधिकार, ऐसे तथ्य के होते हुए भी है ऐसे अधिकार का अवधारण पूर्णतः समुदाव क किन्हीं धार्मिक कृत्यों या गृहकर्म या नियम या प्रथा के प्रश्न क विनिश्चय पर निर्भर करता है।

बहिष्कार का विधिमान्य और प्रभावी न होना।

3. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि, रूढ़ि या प्रथा में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी, किसी समुदाय के सदस्य का बहिष्कार विधिमान्य और प्रभावी नहीं होगा।

शास्ति।

4. कोई व्यक्ति जो ऐसा कार्य करता है जो किसी समुदाय के किसी सदस्य के बहिष्कार या उसे अग्रसर करने की कोटि में आता हो, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.—जब इस धारा के अधीन किए गए अपराध के लिए अभिकथित व्यक्ति कोई निकाय या व्यष्टियों का संगम है, चाहे वह निगमित हो या नहीं, यदि ऐसा अपराध ऐसे निकाय या संगम की बैठक में किया गया अभिकथित है, तो कोई व्यष्टि जिसने बहिष्कार के विनिश्चय के पक्ष में मत दिया है, अपराध करने वाला समझा जाएगा।

5. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) में किसी बात के होते हुए भी, मैजिस्ट्रेट प्रथम पंक्ति के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय, धारा 4 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। अधिनियम के अधीन अधिकारिता।

6. कोई न्यायालय धारा 4 के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान निम्नलिखित बातों में नहीं करेगा :— अपराध के संज्ञान का ढंग।

(क) उस तारीख से जिसको अपराध किया गया अभिकथित है, एक वर्ष के अवसान के बाद, और

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार या उस द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की, जो जिला मैजिस्ट्रेट की पंक्ति से नीचे का न हो, पूर्व अनुमति के बिना।

शिमला-171002, 6 सितम्बर, 1988

सं0 एल0एल0आर0 8/88.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश ट्रान्सफर आफ लैण्ड (रैगुलेशन) ऐक्ट, 1968 (1969 का 15)" के, संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपान्तर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) अधिनियम, 1968

(1969 का 15)

(31-7-1988 को यथा विद्यमान)
(15 मई, 1969)

हिमाचल प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के हित में भूमि के अन्तरण और उससे सम्बन्धित विषयों को विनियमित करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:--

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) अधिनियम, 1968 है ।

(2) इस का विस्तार हिमाचल प्रदेश राज्य के ऐसे क्षेत्रों पर है जो समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं।

(3) यह तुरन्त प्रवृत होगा ।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :--

(क) "आयुक्त" से हिमाचल प्रदेश में प्रवृत भू-राजस्व अधिनियम के अधीन नियुक्त आयुक्त अभिप्रेत है;

(ख) "सहकारी भूमि बंधक बैंक" से हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा प्रवृत पंजाब सहकारी भूमि बंधक बैंक अधिनियम, 1957 (1957 का 26) के अधीन इस रूप में रजिस्ट्रीकृत सहकारी भूमि बंधक बैंक अभिप्रेत है;

(ग) "सहकारी सोसाइटी" से हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 के अधीन इस रूप में रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है;

(घ) "उपायुक्त" से किसी जिला के सम्बन्ध में, उस जिले का उपायुक्त अभिप्रेत है;

(ङ) "वित्त आयुक्त" से हिमाचल प्रदेश का वित्त आयुक्त अभिप्रेत है;

(च) "भूमि" से भू-सतह का प्रभाग, अभिप्रेत है, चाहे वह पानी के नीचे हो या नहीं, और इसके अन्तर्गत ऐसे प्रभाग से बद्ध किसी चीज से बद्ध या स्थाई रूप से जकड़ी हुई सभी चीजें है, किन्तु खनिज, प्राकृतिक गैस, पैट्रोलियम, इमारती लकड़ी, वृक्ष और उगती फसलें और घास इसके अन्तर्गत नहीं हैं;

(छ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) "अनुसूचित जाति" के वही अर्थ हैं जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) में इस के हैं;

(झ) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ।

भूमि के अन्तरण का विनियमन।

3. (1) किसी अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति, सिवाय उपायुक्त की पूर्व लिखित अनुज्ञा से, किसी भूमि में अपना हित, विक्रय बंधक, पट्टे, दान के रूप में या अन्यथा किसी व्यक्ति को, जो ऐसी जनजाति से सम्बन्ध न रखता हो, अन्तरित नहीं करेगा :

परन्तु इस उप-धारा की कोई भी बात निम्नलिखित द्वारा किसी अन्तरण को लागू नहीं होगी :—

(क) किराए पर इमारत के पट्टे के रूप में;
(ख) ऋण प्राप्त करने के लिए, किसी सहकारी भूमि बंधक बैंक या किसी सहकारी सोसाइटी को बंधक द्वारा, जिस के सभी या अधिकांश सदस्य किसी अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति हैं;
(ग) राज्य सरकार द्वारा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन, अर्जन द्वारा ।

(2) उप-धारा (1) के उपबन्धों के उल्लंघन में भूमि में हित सम्बन्धी किया गया प्रत्येक अन्तरण शून्य होगा ।

भूमि अन्तरण की अनुज्ञा के लिए आवेदन।

4. (1) किसी अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि में अपने हित का ऐसी जनजाति से सम्बन्ध न रखने वाले व्यक्ति को अन्तरण करना चाहता हो, ऐसे अन्तरण के लिए अनुज्ञा की मंजूरी के लिए, उपायुक्त को आवेदन कर सकेगा ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन विहित प्ररूप में किया जाएगा और विहित विशिष्टियों से युक्त होगा तथा इसके साथ ऐसी फीस दी जाएगी जो विहित की जाए ।

(3) अनुज्ञा की मंजूरी के लिए किसी आवेदन की प्राप्ति पर, उपायुक्त, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा भूमि को अन्तरित करने की अनुज्ञा दे सकेगा या देने से इन्कार कर सकेगा :

परन्तु जहां अनुज्ञा से इन्कार किया जाता है वहां उपायुक्त ऐसे इन्कार के कारण अभिलिखित करेगा ।

(4) इस धारा के अधीन अनुज्ञा देने या देने से इन्कार करने से पूर्व, उपायुक्त निम्नलिखित मामलों को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :—

(क) आवेदक की वित्तीय स्थिति;
(ख) आवेदक की शारीरिक दशा और आयु;
(ग) प्रयोजन जिसके लिए अन्तरण करना प्रस्तावित है; और
(घ) ऐसे अन्य सुसंगत विषय जैसे उपायुक्त मामल की परिस्थितियों में ठीक समझे ।

बेदखली।

5. (1) यदि धारा 3 के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी भूमि के अन्तरण के परिणामस्वरूप, किसी अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति से भिन्न, किसी व्यक्ति का उस भूमि पर कब्जा पाया जाता है, तो उपायुक्त या राज्य सरकार द्वारा इस निमित लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, धारा 9 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे व्यक्ति पर नोटिस के तामील की तारीख से नब्बे

दिन के भीतर भूमि को खाली करने की और ऐसी भूमि पर बनाई गई किसी इमारत, बाड़ या किसी अन्य संरचना को हटाने की अपेक्षा करते हुए, नोटिस की तामील कर सकेगा :

परन्तु यदि ऐसे अर्जन के समय भूमि पर वास्तविक रूप में उगती हुई फसल हो, तो ऐसा व्यक्ति, जब तक फसलें काट नहीं दी जातीं, भूमि पर कब्जा रख रहने का हकदार होगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसको उप-धारा (1) के अधीन अध्यपेक्षा की जाती है, ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करने को आबद्ध होगा।

अपील। 6. (1) धारा 4 या धारा 5 के अधीन दिए गए आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, आयुक्त को अपील कर सकेगा :

परन्तु यदि आयुक्त न हो, तो ऐसी अपील वित्त आयुक्त को होगी;

परन्तु यह और भी कि, यथास्थिति, आयुक्त या वित्त आयुक्त, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से समय पर अपील दायर करने से निवारित था, उक्त तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् भी, अपील ग्रहण कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर, यथास्थिति, आयुक्त या वित्त आयुक्त, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील को, यथाशक्य शीघ्र, निपटाएगा।

आदेशों की अन्तिमता। 7. धारा 6 के अधीन अपील में, यथास्थिति, आयुक्त और वित्त आयुक्त द्वारा दिया गया आदेश, और केवल ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए, उपायुक्त द्वारा धारा 4 या धारा 5 के अधीन दिया गया आदेश, अन्तिम होगा।

अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा भूमि में धारित अधिकार, हक या हित कुर्क नहीं किए जाएंगे। 8. अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति द्वारा किसी भूमि में धारित अधिकार, हक या हित, किसी न्यायालय की अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध न रखने वाले किसी व्यक्ति के पक्ष में डिक्री या आदेश के निष्पादन में कुर्क या बेच जाने के दायित्व के अधीन नहीं होंगे, सिवाय तब जब डिक्री या आदेश के अधीन देय रकम राज्य सरकार या किसी सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी सोसाइटी को देय है।

शास्ति। 9. यदि कोई व्यक्ति धारा 3 या धारा 5 के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन दुष्प्रेरित करता है, तो वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा और उल्लंघन के जारी रहने की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे प्रथम उल्लंघन की दोषसिद्धि के पश्चात्, प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

10. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी । नियम बनाने की शक्ति ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित बातों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा :—

(क) धारा 4 के अधीन अनुज्ञा दी जाने के लिये आवेदन का प्ररूप, विशिष्टियां जिनसे यह युक्त होगा, फीस जो इसके साथ दी जायेगी और ऐसी फीस को जमा करने की रीति; और

(ख) कोई अन्य विषय, जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना है या किया जाए ।

नियन्त्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।